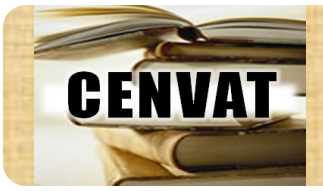

अध्याय I
प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

शुल्क क्रेडिट योजना में, इनपुट्स, इनपुट सेवाओं अथवा पूंजीगत माल के रूप में प्रयुक्त मदों पर प्रदत्त शुल्क/कर एक क्रेडिट के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार से लिए गए क्रेडिट का बाद में अन्तिम उत्पादों पर शुल्क अथवा अन्य करों के भुगतान हेतु प्रयोग किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इनपुट्स पर कर का भुगतान दो बार नहीं किया गया और पहले से प्रदत्त कर पर कर के रूप में कोई प्रपाती प्रभाव नहीं है। उत्पादशुल्क के प्रपाती प्रभाव को समाप्त करने की दृष्टि से "मॉडवेट योजना" के नाम से पुकारी जाने वाली एक शुल्क क्रेडिट योजना मार्च 1986 में शुरू की गई थी जिसने निर्माताओं को इनपुट्स पर (वर्ष 1986 से) तथा पूंजीगत माल पर (वर्ष 1994 से) प्रदत्त शुल्क का क्रेडिट लेने और उस क्रेडिट का अन्तिम उत्पादों पर शुल्क के भुगतान हेतु प्रयोग करने के सक्षम बनाया। इस योजना को 1 अप्रैल 2000 से "सेनवेट नियमावली" के साथ सेनवेट क्रेडिट स्कीम द्वारा बदल दिया गया था। इस नियमावली को बाद में "सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2001" में ही मिला दिया गया था जो 1 जुलाई 2001 से लागू हुई। इसमें और संशोधन के क्रम में यह नियमावली 1 मार्च 2002 से सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2002 से बदल दी गई थी। क्रेडिट की सुविधा को सेवा कर क्रेडिट नियमावली, 2002 के द्वारा 16 अगस्त 2002 से सेवा प्रदाताओं के लिए बढ़ा दिया गया था। 10 सितम्बर 2004 से माल तथा सेवाओं के एकीकरण के साथ, पहले वाली सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2002 और सेवा कर क्रेडिट नियमावली, 2002 को मिला दिया गया था और सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का एक नया सेट शुरू किया गया था ताकि इनपुट शुल्क/कर का क्रेडिट समस्त माल तथा सेवाओं तक बढ़ाया जा सके।

1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस समीक्षा के उद्देश्य थे:-

(i) नियमों और प्रावधानों में अस्पष्टताओं तथा कमियों की पहचान करना जिन्हें सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने और उसके उपयोग के विनियमन को सुधारने के लिए दूर करने की आवश्यकता है, तथा

(ii) नियमों तथा विनियमों के विपथन और अननुपालन के मामलों की पहचान करना जिनके परिणामस्वरूप राजस्व की काफी हानि हुई।

1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवा कर की 103 कमिश्नरियों, 2007-08 के दौरान ₹ एक करोड़ से अधिक केन्द्रीय उत्पादशुल्क का भुगतान करने वाली 12,119 केन्द्रीय

उत्पादशुल्क इकाईयों तथा ₹ 50 लाख से अधिक कर का भुगतान करने वाली 1,159[1] सेवा कर इकाईयां में से, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवा कर की 101 कमिश्नरियों में 1,116 इकाईयां (995 केन्द्रीय उत्पादशुल्क और 121 सेवा कर) चुनी गई थी तथा 2005-06 से 2007-08 की अवधि के निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी।

1.4 पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹ 574.93 करोड़ के राजस्व प्रभाव के सेनवेट क्रेडिट का दुरूपयोग सूचित किया था। प्रतिवेदनों में शामिल किए गए वर्ष-वार राजस्व, स्वीकार की गई राशि तथा की गई वसूली निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं :-

तालिका सं. 1

(राशि ₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष		शामिल किए गए पैराग्राफ		स्वीकार किए गए पैराग्राफ		की गई वसूली
		सं.	राशि	सं.	राशि	
2005-06	के.उ.शु.	51	64.63	36	30.80	7.65
	सेवा कर	7	4.61	5	3.09	0.21
2006-07	के.उ.शु.	66	111.88	49	21.92	9.95
	सेवा कर	38	28.72	34	19.80	3.39
2007-08	के.उ.शु.	78	187.54	53	60.15	31.30
	सेवा कर	71	177.55	43	14.56	4.71
जोड़		**311**	**574.93**	**220**	**150.32**	**57.21**

1.5 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

हमने देखा कि विनिर्माताओं के पास सेनवेट क्रेडिट की भारी राशि इकट्ठी हो गई थी और परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पादशुल्क की बड़ी राशि का भुगतान सेनवेट क्रेडिट से किया जा रहा था।

हमने नियमों और विनियमों में लगभग ₹ 190.61 करोड़ की राजस्व राशि की कमियाँ पाई। हमने गलत ढंग से संचित ₹ 2143.18 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट और गलत ढंग से प्रयुक्त ₹ 257.31 करोड़ का क्रेडिट पाया। विभाग ने (दिसम्बर 2010 तक) ₹ 163.01 करोड़ वाली लेखा परीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कर ली थी और ₹ 33.77 करोड़ की वसूली सूचित की थी। हमारी लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण अगले दो अध्यायों में किया गया है।

[1] इसमें 15 कमिश्नरियों (मुम्बई I, II, III, IV, V, पुणे I, II, III, नासिक थाणे I, II, बेलापुर, रायगढ़, गोवा एवं औरंगाबाद) की सेवा कर इकाईयां शामिल नहीं हैं।